

प्रेषक,

नूरी अंसार,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट-द्वितीय
फैजाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक(एम)
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।


महोदय,

1- मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में पी0पी0एफ0 में 1,20,000/-हजार रुपये व वर्ष 2018-19 में पी0पी0एफ0 में 98,000/-रुपये जमा किए गए।

2- मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 में एक्सिस लॉग टर्म इक्विटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड में कोई मासिक अथवा वार्षिक पेमेन्ट नहीं किया गया। एक्सिस लॉग टर्म इक्विटी इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड में मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में **One time payment** मु0 30,000/-में लिया गया, जिसकी उक्त वर्ष के बाद से कभी कोई मासिक अथवा सालाना किश्त नहीं दी गई। मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 में **एल0आई0सी0** की **वार्षिक** प्रीमियम जमा की गई थी।

3- कोविड महामारी के कारण विवरण देने में विलम्ब हुआ है, जिसके लिए प्रार्थिनी क्षमाप्रार्थी है।

भवदीया,



(श्रीमती नूरी अंसार)

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट-द्वितीय /
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /
फैजाबाद।

Date : 6.1.23